संख्याः 1087/पॉच–1–2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. **निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ, डा0आर0एम0एल0संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ, ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती, यू0एच0एम0चिकित्सालय कानपुर।**
2. **निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी।**
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका (पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय) उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त जिला क्षयरोग चिकित्सालय, उ0प्र0।**

चिकित्सा अनुभाग– दिनांकः 27/8/2015

विषयः– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन के संबंध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रचलित रिपोर्टिंग को वेब बेस्ड करने हेतु हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका प्रभावी क्रियान्वयन प्रदेश के समस्त चिकित्सा ईकाइयों में किया जाना है। वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर वेबसाइट www.uphssp.org पर उपलब्ध है। प्रदेश में वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन हेतु निम्नलिखित प्राविधान किए जाते हैं–

- वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयोगार्थ बनाया गया है। अतः प्रदेश में इसका संचालन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण के अधीन होगा।
- निदेशक, बजट एवं नियोजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी होंगे।
- उक्त एप्लीकेशन साफ्टवेयर में भरे गए आकडों की वैधता एवं सत्यता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित चिकित्सा ईकाई के सक्षम प्राधिकारी की होगी।
- एप्लीकेशन साफ्टवेयर में प्रत्येक माह की 21 तारीख से अगले माह की 20 तारीख तक के आंकड़े भरे जाने सुनिश्चित किये जायेंगे।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फार्मेट भराकर अपने सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रत्येक माह 23 तारीख तक प्राप्त किये जाये।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एवं अपने अन्तर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में सभी अधीनस्थ चिकित्सा ईकाइयों के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड की आनलाइन फीडिंग सुनिश्चित की जाएगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अपने अन्तर्गत आने वाले समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी हेल्थ कार्ड में सम्मिलित कर प्रत्येक माह की 28 तारीख तक मूल प्रति के सत्यापन के पश्चात् आन लाइन भरना सुनिश्चित करेंगे।

- निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सम्बन्धित चिकित्सालय के आंकडों का सत्यापन कर प्रत्येक माह की 28 तारीख तक आन लाइन हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भरवाना सुनिश्चित करेंगे।
- इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों, आवश्यकतानुसार नए पैरामीटर को समाहित करने एवं विभिन्न आपेक्षित एम0आई0एस0 रिपोर्ट को तैयार करने का दायित्व यू0पी0एच0एस0एस0पी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 में स्थापित डाटा रिसोर्स सेन्टर का होगा। निदेशक नियोजन, स्वास्थ्य भवन इसके नोडल अधिकारी होंगे।
- एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन तथा निर्माण में आवश्यक संसाधन यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यू0पी0एच0एस0एस0पी0 परियोजना की पूर्णता पर इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 द्वारा की जाएगी।
- इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन हेतु समस्त चिकित्सा ईकाइयों को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 स्थित डाटा रिसोर्स सेन्टर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा प्रथम चरण में मुख्यालय स्तर पर प्रदेश के जिलास्तरीय चिकित्सा ईकाइयों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। द्वितीय चरण में मण्डलीयस्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रशिक्षण यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यालय एवं शासन स्तर पर भविष्य में होने वाली समीक्षा बैठकों में इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर से सृजित आंकडों को ही मान्यता दी जाएगी। इसके लिए सम्बन्धित नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उक्त एप्लीकेशन साफ्टवेयर में समयबद्वरूप में सही आंकडों की प्रविष्टि की जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका वैधीकरण किया जाए।
- एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 स्थित डाटा रिसोर्स सेन्टर के सी0यू0जी0 संख्या–7839017927/7839017921/7839017926/7839017937/7839017924/7839017922 एवं ईमेल edp.dgmh@gmail.com पर संपर्क किया जाए।
- नेशनल पोर्टल पर की जा रही रिपोर्टिंग यथावत रहेगी। साथ ही विभाग में चल रही वर्तमान रिपोर्टिंग व्यवस्था को प्रथम तीन माह तक यथावत रखा जाए। तत्पश्चात साफ्टवेयर में उपलब्ध आकडें ही प्रासंगिक माने जाएंगें।

  यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या–

प्रतिलिपिः

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
4. परियोजना निदेशक, यूपीएचएसएसपी, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्याः 1087/पाँच-1-2015

प्रेषक,

अरविन्द कुमार
प्रमुख सचिव,
चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में

1. **निदेशक, बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ, डा0 श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय लखनऊ, डा0आर0एम0एल0संयुक्त चिकित्सालय लखनऊ, ओपेक चिकित्सालय कैली बस्ती, यू0एच0एम0चिकित्सालय कानपुर।**
2. **निदेशक, मानसिक चिकित्सालय, बरेली/वाराणसी।**
3. **समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका (पुरुष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय) उत्तर प्रदेश।**
4. **समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।**
5. **समस्त जिला क्षयरोग चिकित्सालय, उ0प्र0।**

चिकित्सा अनुभाग- दिनांकः 27/8/2015

विषयः- **चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर के क्रियान्वयन के संबंध में।**

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में प्रचलित रिपोर्टिंग को वेब बेस्ड करने हेतु हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर तैयार किया गया है जिसका प्रभावी कियान्वयन प्रदेश के समस्त चिकित्सा ईकाइयों में किया जाना है। वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर वेबसाइट www.uphssp.org पर उपलब्ध है। प्रदेश में वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन हेतु निम्नलिखित प्राविधान किए जाते हैं-

- वेब बेस्ड हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एप्लीकेशन साफ्टवेयर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के प्रयोगार्थ बनाया गया है। अतः प्रदेश में इसका संचालन महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं तथा महानिदेशक, परिवार कल्याण के अधीन होगा।
- निदेशक, बजट एवं नियोजन, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 एप्लीकेशन साफ्टवेयर के कियान्वयन एवं संचालन हेतु राज्यस्तरीय नोडल अधिकारी होंगे।
- उक्त एप्लीकेशन साफ्टवेयर में भरे गए आकडों की वैधता एवं सत्यता का उत्तरदायित्व सम्बन्धित चिकित्सा ईकाई के सक्षम प्राधिकारी की होगी।
- एप्लीकेशन साफ्टवेयर में प्रत्येक माह की 21 तारीख से अगले माह की 20 तारीख तक के आंकड़े भरे जाने सुनिश्चित किये जायेंगे।
- प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से हेल्थ रिपोर्ट कार्ड फार्मेट भराकर अपने सम्बन्धित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को प्रत्येक माह 23 तारीख तक प्राप्त किये जाये।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अपने हेल्थ रिपोर्ट कार्ड एवं अपने अन्तर्गत आने वाले सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को प्रत्येक माह की 25 तारीख तक प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।
- कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी में सभी अधीनस्थ चिकित्सा ईकाइयों के हेल्थ रिपोर्ट कार्ड की आनलाइन फीडिंग सुनिश्चित की जाएगी।
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अपने अन्तर्गत आने वाले समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/ नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी हेल्थ कार्ड में सम्मिलित कर प्रत्येक माह की 28 तारीख तक मूल प्रति के सत्यापन के पश्चात् आन लाइन भरना सुनिश्चित करेंगे।

- निदेशक / प्रमुख / मुख्य चिकित्सा अधीक्षक सम्बन्धित चिकित्सालय के आंकडों का सत्यापन कर प्रत्येक माह की 28 तारीख तक आन लाइन हेल्थ रिपोर्ट कार्ड भरवाना सुनिश्चित करेंगे।
- इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर में आने वाली तकनीकी कठिनाइयों, आवश्यकतानुसार नए पैरामीटर को समाहित करने एवं विभिन्न आपेक्षित एम0आई0एस0 रिपोर्ट को तैयार करने का दायित्व यू0पी0एच0एस0एस0पी0, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 में स्थापित डाटा रिसोर्स सेन्टर का होगा। निदेशक नियोजन, स्वास्थ्य भवन इसके नोडल अधिकारी होंगे।
- एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन तथा निर्माण में आवश्यक संसाधन यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। यू0पी0एच0एस0एस0पी0 परियोजना की पूर्णता पर इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन की व्यवस्था चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 द्वारा की जाएगी।
- इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन हेतु समस्त चिकित्सा ईकाइयों को यूजर आई0डी0 एवं पासवर्ड चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 स्थित डाटा रिसोर्स सेन्टर द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
- यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा प्रथम चरण में मुख्यालय स्तर पर प्रदेश के जिलास्तरीय चिकित्सा ईकाइयों को प्रशिक्षण प्रदान किया जा चुका है। द्वितीय चरण में मण्डलीयस्तर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का प्रशिक्षण यू0पी0एच0एस0एस0पी0 द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- मुख्यालय एवं शासन स्तर पर भविष्य में होने वाली समीक्षा बैठकों में इस एप्लीकेशन साफ्टवेयर से सृजित आंकडों को ही मान्यता दी जाएगी। इसके लिए सम्बन्धित नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी होगी कि उक्त एप्लीकेशन साफ्टवेयर में समयबद्धरूप में सही आंकडों की पविष्टि की जाए तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका वैधीकरण किया जाए।
- एप्लीकेशन साफ्टवेयर के संचालन में किसी भी प्रकार की समस्या के निराकरण हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, उ0प्र0 स्थित डाटा रिसोर्स सेन्टर के सी0यू0जी0 संख्या–7839017927 / 7839017921 / 7839017926 / 7839017937 / 7839017924 / 7839017922 एवं ईमेल cdp.dgmh@gmail.com पर संपर्क किया जाए।
- नेशनल पोर्टल पर की जा रही रिपोर्टिंग यथावत रहेगी। साथ ही विभाग में चल रही वर्तमान रिपोर्टिंग व्यवस्था को प्रथम तीन माह तक यथावत रखा जाए। तत्पश्चात साफ्टवेयर में उपलब्ध आकडें ही प्रासंगिक माने जाएंगें।

यह आदेश तत्काल रूप से प्रभावी होंगे।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या—

प्रतिलिपिः

1. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
2. महानिदेशक, परिवार कल्याण, लखनऊ।
3. मिशन निदेशक, एस0पी0एम0यू0, एन0एच0एम0, लखनऊ।
4. परियोजना निदेशक, यूपीएचएसएसपी, इन्दिरा नगर लखनऊ।
5. अधिशासी निदेशक, यू0पी0टी0एस0यू0, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,उ0प्र0।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रवीन्द्र नाथ सिंह)
संयुक्त सचिव।